संख्या:224/2021/1929/35-4-2021

प्रेषक,

विवेक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अयोध्या।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 15 नवम्बर, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद-अयोध्या में नगर निगम अयोध्या से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यों की रू. 4786.60 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 940.00 लाख (रूपये नौ करोड़ चालिस लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों के लिये नगर निगम अयोध्या कार्यदायी संस्था होगी:-

(लाख रू. में)

	कार्य	**अनुमोदित लागत**	**अवमुक्त धनराशि**
1	रानोपाली में रेलवे क्रासिंग से डा0 प्रेम प्रकाश सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	45.35	15.00
2	रानोपाली में विवेक दत्त के मकान से विरेन्द्र कुमार के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	33.26	15.00
3	रानोपाली में परिक्रमा मार्ग से गणेश चतुर्वेदी के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	45.35	15.00
4	मक्खापुर मे वेद प्रकाश गुप्ता के मकान से राजाराम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	34.67	15.00
5	शम्सुद्दीनपुर में मिर्जापुर माफी रोड से चन्द्रिका यादव के मकान तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	106.70	15.00
6	मक्खापुर में बाईपास से प्राथमिक विद्यालय तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	76.72	15.00
7	शम्सुद्दीन पुर में प्राथमिक विद्यालय से सैनिक पोस्टर किड्स प्री स्कूल तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	112.11	15.00
8	मिर्जापुर माफी में पंचायत घर से छेदीलाल रावत के मकान तक हॉटमिक्स सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	96.49	15.00
9	कुशमाहा में अकबरपुर मुख्य मार्ग से राजेन्द्र प्रसाद के मकान तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	108.32	15.00
10	शाहजंहापुर में भोलाशंकर शुक्ला के मकान से रावेन्द्र कुमार के मकान होते हुए विपिन सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	32.84	15.00
11	शाहजंहापुर में देवेन्द्र सिंह के मकान से शहजंहापुर रेलवे क्रासिंग तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	30.22	15.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
12	शाहजंहापुर में गुड्डू जनरल स्टोर से इमामबाड़ा तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.35	15.00
13	शहनवां में अन्सार अहमद बब्बन (ग्राम प्रधान) के मकान से के0के0 यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	36.08	15.00
14	कुशमाहा में पंचायत घर से अचारी का पुरवा कालीमाता मन्दिर मेन रोड तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	93.11	15.00
15	आशापुर में दुर्गा जनरल स्टोर से कृष्णा वाटिका तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	30.36	15.00
16	आशापुर में रामगुलाम के मकान से श्याम मोहन वर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	49.24	15.00
17	रानापाली में उमेश कुमार वर्मा के मकान से मानेन्द्र प्रताप सिंह के मकान होते हुए रामसूरत गुप्त के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	54.02	15.00
18	रानापाली में मौर्या जनरल स्टोर से आशीष कुमार श्रीवास्तव के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	104.72	15.00
19	रानोपाली में छात्रावास से आशुतोष कुमार पाण्डेय के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	39.48	15.00
20	शहनवां में औलाद हैदर के मकान से अर्जुन के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	36.31	15.00
21	धरमपुर सहादत में रामसूरत के मकान से राम आशीष के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	52.43	15.00
22	मक्खापुर में ग्राम पंचायत सचिवालय से लोकेश कुमार के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	57.63	15.00
23	शाहजंहापुर में आर0 के0 शर्मा के मकान से इन्द्रदेव सिंह के मकान होते हुए बाबू के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	28.86	15.00
24	आशापुर में बेचू के मकान से हनुमान प्रसाद के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	45.98	15.00
25	शहनवां में शिफा मेडिकल सेन्टर से सियाराम के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	59.22	15.00
26	मिर्जापुर माफी में साहू डिजिटल स्टूडियों की दुकान से गोविन्द कुमार के दुकान तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य।	52.11	15.00
27	आदित्य नगर मझवा गद्दोपुर में देवनरायण सिंह के मकान से घनश्याम गुप्ता के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	44.07	15.00
28	दर्शन नगर बाजार में हनुमान मंदिर के सामने से गुड्डू के मकान से सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	19.69	15.00
29	दर्शन नगर बाजार में लक्ष्मण शर्मा के मकान से समाजोस्थान स्कूल तक एवं गनेश शर्मा के मकान से विनोद कुमार के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	46.11	15.00
30	पलिया शाहबदी में बड़ी नहर से विजय पाण्डेय के मकान होते हुए छोटी नहर तक एवं संलग्न गलियों में सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	80.70	15.00
31	शहनवां में मो 0 अशलम के मकान से श्री रामधीरज के मकान तक एवं श्री मूलचन्द्र साहू के मकान से काली प्रसाद, अली हसन, मो0 इरफान, श्री पप्पू के मकान तक एवं संलग्न गलियों में रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग सड़क	31.20	15.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
	व नाली निर्माण कार्य।		
32	कुशमाहा में श्री अरविन्द कुमार (कोटेदार) के मकान से श्रीनाथ के मकान तक एवं संलगन गलियों में रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	43.42	15.00
33	शहनवां में मो0 शहीद अन्सारी के मकान से मो0 चॉद के मकान तक एवं संलग्न गलियों में सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	29.48	15.00
34	शाहजहॉपुर में श्री रवीन्द्र के मकान से श्री विपिन के मकान तक एवं संलग्न गलियों में रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	45.95	15.00
35	मिर्जापुर शमशद्दीनपुर में मिर्जापुर मुख्य मार्ग से श्री उमेश तिवारी के मकान तक एवं संलग्न गलियों में सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	39.30	15.00
36	कुशमाहा में श्री ओमकार सिंह के मकान से श्री ननकऊ कनौजिया के मकान तक एवं श्री गयाराम यादव के मकान से मुख्य मार्ग तक एवं संलगन गलियों में सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	53.61	15.00
37	ग्राम हैबतुपर में दशरथ कुण्ड परिक्रमा मार्ग से श्री विनोद के मकान तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	40.88	15.00
38	ग्राम भीखापुर में सिद्धार्थ पुरम कालोनी में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग से श्री सोनी के मकान होते हुए श्री शिवकुमार के मकान तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	18.73	15.00
39	ग्राम बनवारी का पुरवा में श्री बुधिसागर के मकान से बनवारी का पुरवा चौराहा होते हुए स्व0 श्यामलाल के मकान तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	34.07	15.00
40	ग्राम आशिफबाग में रघुकुल रेस्टोरेन्ट से पूर्व माध्यमिक विद्यालय शहनेवाजपुर से चौदहकोसी परिक्रमा मार्ग तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	71.38	15.00
41	परिक्रमा मार्ग पर स्थित महार्षि आश्रम से मदरहिया होते हुए बाईपास प्राइमरी पाठशाला बनवारी का पुरवा तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	170.48	17.00
42	अब्बू सराय बाईपास (जितेन्द्र बिल्डिंग मटेरियल) से हीरालाल यादव के मकान से होते हुए रेलवे क्रासिंग तक हॉटमिक्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	125.31	15.00
43	बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से बनवीर पुर रेलवे क्रासिंग तक हॉटमिक्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	73.08	15.00
44	रायबरेली रोड पर (उसरू) नीलकण्ड मेडिकल स्टोर से आनन्द ति वारी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	46.87	15.00
45	इण्डियन गैस एजेंसी (गद्दौपुर) से पलिया शाहबदी संपर्क मार्ग पर हॉटमिक्स सड़क का निर्माण कार्य।	110.37	15.00
46	गद्दौपुर में पेट्रोल टंकी से नहर तक हॉटमिक्स सड़क दोनों तरफ इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	213.93	21.00
47	गोपाल पुर शारदा सहायक नहर से गोपालपुर सम्पर्क मार्ग तक हॉटमिक्स सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	211.81	21.00
48	बनवीरपुर में बनवीरपुर शारदा सहायक नहर होते हुए श्री जगदीश के मकान तक हॉटमिक्स सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	88.49	15.00
49	रायबरेली रोड से मऊ यदुवंशपुर सम्पर्क मार्ग पर हॉटमिक्स सड़क व	80.36	15.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
	नाली निर्माण कार्य।		
50	गंजा गांव में पुलिया से धर्मशाला तक हॉटमिक्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	265.35	27.00
51	नंदापुर गांव मे श्री विजय यादव के दुकान से श्री आर0 एन0 पाण्डेय के मकान तक हॉटमिक्स सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	155.86	16.00
52	मलिकपुर में काली मंदिर से आटा चक्की होते हुए सी0आर0पी0एफ0 कैम्प तक हॉटमिक्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	179.83	18.00
53	मलिकपुर में बड़े नहर की पुलिया से हैण्डपम्प तक हॉटमिक्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	160.80	16.00
54	कादीपुर में कादीपुर चौराहे से बड़े नहर की पुलिया तक हॉटमिक्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	155.45	16.00
55	गोपालपुर में मुख्य मार्ग से मथुरा प्रसाद के घर तक हॉटमिक्स सड़क व नाली निमा्रण कार्य।	182.00	18.00
56	पूरे हुसैन खान में श्री अशगर की दुकान से श्री संजय के मकान तक हॉटमिक्स सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	180.67	18.00
57	रानोपाली के मजरा पटवारी का पुरवा के अन्तर्गत मंगलपुरम कालोनी में सुनील कुमार वर्मा के मकान से विनोद सिंह के मकान तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	29.38	15.00
58	रानोपाली के मोहल्ला सीताराम पुरम कालोनी में विजय श्रीवास्तव के मकान से लालबहादुर यादव के मकान होते हुए हाकिम सिंह के मकान के पास तक रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	45.73	15.00
59	रानोपाली में बिहारी के पुरवा में जोगियाना परिक्रमा मार्ग से श्री चन्द के मकान तक एवं संलग्न गलियों में हाटमिक्स द्वारा सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	67.05	15.00
60	रानोपाली में वैष्णवी नर्सिंग होम वाई पास से मोहबरा बजार तक एवं सम्बन्धित गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	166.26	17.00
	योग:	**4786.60**	**940.00**

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
3. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी।
4. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

6. कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
8. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
10. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।
11. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या- 1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
12. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
13. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
16. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2022 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2022 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2022 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
17. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2022 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।
18. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
19. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
20. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

21. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
22. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।
23. प्रयोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 अनुमन्य कर दी गई है। कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
24. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
25. कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह 02 माह की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त कार्यों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0302-शहरी क्षेत्रों में सड़को के सुधार के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-105/दस-2021 दिनांक: 12 नवम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विवेक)
विशेष सचिव।

संख्या:224/2021/1929(1)/35-4-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, अयोध्या।
8- नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या।
9- मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अयोध्या।
13- अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, अयोध्या।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विवेक)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।